

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 अप्रैल 2017

विषय:- Renewal of 61.2348 ha. out of total 126.27 ha. granted under FCA forest land original forest clearance granted for 126.27 ha. in Renukut Forest Division, Sonbhadra for the construction Of Ash Disposal Yard in favour of Renuager Power Company Limited. के सम्बंध में।

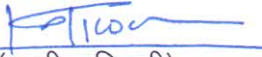
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8-05/1993- एफसी/(पी0टी0) दिनांक 13-2-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में निर्गत की गयी सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-2195/11सी- एफपी/ यूपी/इंड0/25304/2017, दिनांक 26-4-2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आन लाइन ई-पोर्टल के माध्यम से एन0पी0वी0 एवं दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण की आवश्यक धनराशि जमा किये जाने के सम्बंध में आन लाइन ई-पेमेण्ट के माध्यम से जमा करने किये जाने हेतु ई-चालान जेनरेट किया जाना अपेक्षित है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 26-4-2017 की प्रति आन लाइन पार्ट-1 एवं पार्ट-2 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति को भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें ताकि अनुपालन आख्या से सम्बंधित देयक को आन लाइन ई-पेमेण्ट के माध्यम से जमा करने लिये ई-चालान जेनरेट किया जा सके।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-788(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।